मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
ताज केम्पस नियर ताजुल मसाजिद भोपाल फोन–0755–2543175,2737341
E-mail : mpwaqfboardbhopal@gmail.com, ceomp@wakf.gov.in
website : www.mpwaqfboard.org

फाइल कमांक– कृषि भूमि / 2026 भोपाल, दिनांक

//कृषि कार्य हेतु वक्फ कृषि भूमियों की वार्षिक लीज रेण्ट पर नीलामी की सूचना//

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड द्वारा पट्टा नियम 2014 संशोधित 2020 के अंतर्गत म.प्र. राज्य की संभागवार अपनी समस्त वैधानिक वक्फ कृषि भूमियों की वार्षिक नीलामी केवल कृषि प्रयोजन हेतु कराई जाना है। वक्फ कृषि भूमि वर्ष 2026–27 के लिये वार्षिक नीलामी पट्टे/लीज/किराए हेतु एक वर्ष से तीन वर्षो पर देने की कार्यवाही कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड भोपाल मुख्यालय से खुली बोली के आधार पर की जावेगी। संभागवार जिलों की वक्फ कृषि भूमियों की पृथक पृथक वक्फवार नीलामी की जाएगी भूमियों की सूची,खसरा नम्बर,भूमि का रकबा नीलामी की न्यूनतम रिजर्व प्राइस एवं धरोहर राशि एवं अन्य शर्ते कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड की **website: www.mpwaqfboard.org** पर देखी जा सकती है। जिले की समस्त कृषि भूमियों की सूची की एक प्रति जिला वक्फ कमेटी के कार्यालय के सूचना पटल पर लगाई जाएगी तथा विस्तृत जानकारी के लिये संबंधित जिला वक्फ कमेटी से संपर्क किया जा सकता है तथा एक सूची म.प्र.वक्फ बोर्ड भोपाल के कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा की जा रही है। प्रदेश के सभांगवार वक्फ कृषि भूमियों की नीलामी निम्न तालिक में दिए गए कार्यकम अनुसार की जाएगी:–

क.	दिनांक	संभाग	जिले	समय
1	24.3.26	इंदौर	इंदौर,धार,अलीराजपुर,खरगौन,बड़वानी,खण्डवा बुरहानपुर,झाबुआ	प्रातः 11.00 बजे
2	25.3.26	उज्जैन	उज्जैन,देवास,रतलाम,मंदसौर,आगर,शाजापुर,नीमच	प्रातः 11.00 बजे
3	26.3.26	भोपाल	भोपाल, सीहोर,रायसेन,राजगढ़,विदिशा	प्रातः 11.00 बजे
4	28.3.26	ग्वालियर एवं चंबल	ग्वालियर,गुना,शिवपुरी,अशोकनगर,दतिया, श्योपुर, मुरैना,भिण्ड	प्रातः 11.00 बजे दोपहरः 3.00 बजे
5	30.3.26 30.3.26	सागर नर्मदापुरम	सागर,टीकमगढ़,छतरपुर,दमोह,पन्ना होशंगाबाद,बैतूल,हरदा	प्रातः 11.00 बजे प्रातः 03.00 बजे
6	02.4.26 02.04.26	रीवा एवं शहडोल जबलपुर	रीवा,सतना,शहडोल जबलपुर,कटनी,नरसिंहपुर,छिन्दवाड़ा बालाघाट, सिवनी,मण्डला	दोपहर 11.00बजे प्रातः 03.00 बजे

नीलामी की शर्ते

1. नीलामी मे भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को स्वंय के आधार कार्ड की छाया प्रति साथ लाना अनिवार्य होगा।
2. कृषि भूमि की प्रत्येक इकाई की केवल कृषि कार्य हेतु नीलामी निर्धारित न्यूनतम रिजर्व प्राइज़ के अनुसार उच्चतम बोली लगाने वाले व्यक्ति को कृषि भूमि पटटे पर दी जावेगी।
3. वक्फ कृषि भूमि की नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों को नीलामी की तिथि पर 20,000/–(बीस हजार रूपए) नकद धरोहर राशि नीलामी से पूर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी म.प्र. वक्फ बोर्ड को नकद जमा करना अनिवार्य होगा। बोली में असफल व्यक्तियों की धरोहर राशि उसी दिन वापस कर दी जावेगी।
4. नीलामी में सफल व्यक्ति द्वारा किसी कारणवश भूमि लेने में असमर्थता जताई जाती है तो बोली में सम्मिलित दूसरे सबसे उच्चतम बोली लगाने व्यक्ति को कृषि भूमि आवंटित कर दी जावेगी। यदि दूसरे व्यक्ति द्वारा भी किसी कारणवश भूमि नहीं ली जाती है तो तीसरे उच्चतम बोलीकर्ता को भूमि आवंटित कर दी जावेगी। सफल बोलीकर्ता द्वारा कृषि भूमि की बोली राशि का 50 प्रतिशत भुगतान उसी दिन करना होगा तथा शेष 50 प्रतिशत राशि का चेक अवधि में अग्रिम दिनांक 31.10.26 का प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा की स्थिति में नीलामी निरस्त की जा सकेगी तथा तीनों व्यक्तियों की धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी। प्रथम तीन बोलीकर्ताओं में से सफल व्यक्ति द्वारा नीलामी बोली राशि की 50 प्रतिशत राशि जमा करने के उपरांत ही शेष दो व्यक्तियों की धरोहर राशि वापिस की जावेगी।
5. म.प्र. वक्फ बोर्ड द्वारा उसकी कृषि भूमि **"जहॉं है जैसी है"** की स्थिति में नीलामी जा रही है। नीलामी में भूमि प्राप्त करने वाले व्यक्ति को भूमि का कब्जा स्वयं प्राप्त करना होगा। म.प्र.वक्फ बोर्ड यथासंभव कब्जा प्राप्त कराने हेतु राजस्व अधिकारियों के माध्यम से सहयोग करेगा।
6. गत वर्ष की नीलामी की संपूर्ण राशि जमा न करने वाले व्यक्ति को नीलामी के पूर्व संपूर्ण राशि जमा करना होगा अथवा नीलामी प्रकिया में भाग नहीं ले सकेगें ।
7. म.प्र.राज्य वक्फ बोर्ड की संभागवार कृषि भूमि शेष रहने की दशा में कृषि भूमियों को आगामी दिनांको में सुविधानुसार कार्यलय म.प्र. वक्फ बोर्ड भोपाल/जिला वक्फ कमेटियों के माध्यम से कृषि उपयोग हेतु नीलामी की जा सकेगी। कृषि कार्य हेतु समय सीमा के दृष्टिगत पृथक से कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की जाएगी।
8. म.प्र.राज्य वक्फ बोर्ड में इन्द्राज तथा म.प्र. शासन द्वारा राजपत्रित वक्फ कृषि भूमियों को लीज/रेण्ट/हेतु नीलामी की कार्यवाही की जा रही है । यदि इन कृषि भूमियों के संबंध मं किसी भी न्यायालय से वक्फ बोर्ड के विरूद्व स्थगन,अथवा कोई निर्णय हो तो संबंधित व्यक्ति/संस्था उपरोक्त सूचना मे दर्शित नीलामी की प्रकिया से पूर्व आकर म.प्र. वक्फ बोर्ड कार्यालय भोपाल को समस्त अभिलेखों सहित लिखित में अवगत करा सकता है जिससे कि ऐसी सम्पत्तियों को लीज/रेण्ट पर देने की कार्यवाही से संबंधित आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा सके।
9. कृषि भूमियों की नीलामी की कार्यवाही को कराने अथवा निरस्त करने अथवा अन्य कोई भी वैधानिक निर्णय लेने का संपूर्ण अधिकार म.प्र. वक्फ बोर्ड भोपाल के पास सुरक्षित है। म.प्र.वक्फ बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र.वक्फ बोर्ड भोपाल